भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4328

उत्तर देने की तारीख : 19.08.2025

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

4328. श्री सुधाकर सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के पास लंबित शिकायतों की कुल संख्या कितनी है जिनकी जांच पूरी नहीं हुई है तथा यदि हाँ, तो संस्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनसीबीसी ने 'नॉट फाउंड सूटेबल' निर्णय के बारे में प्राप्त शिकायतों, विशेष रूप से जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद में भर्ती में ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में, की सुनवाई के संबंध में बैठक के कार्यवाही सारांश और आदेश तैयार किए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले के कब तक समाप्त होने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के कार्यवाही के नियम के अनुसार, आज की तारीख में कोई जांच लंबित नहीं है।

(ख) और (ग): आयोग, शिकायत पर सुनवाई करने के बाद, उपयुक्त प्राधिकरणों के लिए सिफारिशें जारी करता है। जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद के मामले में, 'नॉट फाउंड सूटेबल' मामले के संबंध में दिनांक 23.12.2021 को सुनवाई हुई थी। संस्थान ने दिनांक 07.06.2022 के पत्र द्वारा सूचित किया कि आयोग की सिफारिश के अनुसार, उन्होंने सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणियों से भरे जाने के लिए एक विशेष अभियान का विज्ञापन दिया था और उन पदों पर नियुक्तियां हुई थीं।

*****